प्रेस नोट संख्या- 82

दिनांक- 30.03.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "operation conviction" अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को मात्र 02 माह में मा0 न्यायालय द्वारा सश्रम आजीवन कारावास एवं 51,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में महिला सम्बन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में "operation conviction" अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-12 सुलतानपुर में मु0अ0सं0 190/2023 धारा 376/325 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना संग्रामपुर में अभियुक्त दिनेश पाल पुत्र रामसत पाल निवासी भीमी थाना अमेठी जनपद अमेठी को उक्त "**मिशन शक्ति'** के अभियोग में आज दिनांक 30.03.2024 को **मात्र 02 माह** में धारा-376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में सश्रम आजीवन कारावास एवं 50,000 रु0 अर्थदण्ड एवं धारा-325 भादवि में 01 वर्ष के साधारण कारावास व 1000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा की दिनांक 08.12.2023 समय 18.45 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त दिनेश पाल पुत्र रामसत पाल निवासी भीमी थाना अमेठी जनपद अमेठी द्वारा दुष्कर्म करने की सूचना पर मु0अ0सं0 190/2023 धारा 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना संग्रामपुर पर पंजीकृत होकर विवेचक वर्तमान प्र0नि0 थाना संग्रामपुर श्रीराम द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए- 09 दिनांक 21.01.2024 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।